127

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक अपील 8001–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 1–6–2015 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त, म.प्र., ग्वालियर प्रकरण कमांक 5(1)2015–16/2104.

.....

मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड
सेहतगंज, जिला रायसेन .....अपीलार्थी

विरूद्ध

1– उपायुक्त आबकारी मध्यप्रदेश, ग्वालियर
2– उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता, भोपाल
3– जिला आबकारी अधिकारी, जिला रायसेन .....प्रत्यर्थीगण

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/3/18 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2) (सी) के अंतर्गत आबकारी आयुक्त, म.प्र., ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी इकाई द्वारा वर्ष 2003 में विभिन्न परमिटों से देशी शराब सीलबन्द बोतलों में दिल्ली राज्य को निर्यात की गई थी, जिसमें गुना के पास वाहन दुर्घटनागग्रस्त हो जाने से निर्यात में अधिक मार्ग हानि का प्रकरण म.प्र. शासन वाणिज्यकर विभाग के नियमानुसर निराकरण हेतु आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर को भेजा गया । महालेखाकार ग्वालियर द्वारा ऑडिट आपत्ति अवधि 12/2004 से 8/2006 के दौरान देशी मदिरा स्प्रिट सीलबंद बोतलों में निर्यात के सम्बन्ध में आपत्ति ली गई कि अपीलार्थी इकाई द्वारा परमिट कमांक 653, 654 एवं 655 दिनांक

20–5–2003 द्वारा 5400 प्रू.ली. देशी शराब सीलबन्द बोतलों में दिल्ली राज्य को निर्यात किया गया था, जिसमें गुना के पास वाहन दुर्घटनागग्रस्त हो जाने से 778.5 प्रू.ली. मदिरा कम पाई गई है । इसी प्रकार परमिट कमांक 710 दिनांक 12–6–2003 द्वारा 5400 प्रू.ली. देशी मदिरा सीलबंद बोतलें दिल्ली राज्य को निर्यात की गई थी, यह परेषण भी आसवनी में वापस प्राप्त किया गया तथा स्टाक पंजी में पावती 5400 प्रू.ली. के बजाय 540 प्रू.ली. ली गई, जो निर्यात की गई मात्रा 5400 प्रू.ली. से 4860 प्रू.ली. कम थी । इस प्रकार कुल कमी 5638.5 प्रू.ली. पर देय शुल्क 135324/– वसूली योग्य है । महालेखाकार ग्वालियर द्वारा देशी स्प्रिट सीलबंद बोतलों की 233 सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार 9 प्रकरणों में गंतव्य पर 446.98 प्रूफ लीटर सीलबंद बोतलें कम होने तथा शेष 224 प्रकरणों में 4862.18 प्रूफ लीटर देशी स्प्रिट सीलबंद बोतलों की टूट–फूट छीजन की हानि होने से रूपये 6,63,646/– वसूली सम्बंधी आपत्ति ली गई है । अतः आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 1–6–2015 को आदेश पारित कर अपीलार्थी को कुल रूपये 7,98,970/– जमा करने के आदेश दिये गये । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का विधिवत अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऑडिट आपत्ति के आधार पर आदेश पारित किया गया है, जबकि ऑडिट आपत्ति के आधार पर बिना कारण बताओ सूचना पत्र दिये आदेश पारित नहीं किया जा सकता है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा निर्धारित अवधि में देशी स्प्रिट सीलबंद बोतलों में दिल्ली राज्य को निर्यात किया गया था, जबकि उक्त मार्ग हानि से शासन को कोई हानि नहीं हुई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि मार्ग हानि के संबंध में शासन को कोई हानि होने एवं प्रदाय प्रभावति होना प्रमाणित नहीं है और प्रमाण भार शासन पर है । अतः जब शासन को कोई हानि ही नहीं हुई है, तब अपीलार्थी पर शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 233 सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर 9 प्रकरणों में एक साथ आदेश पारित किया गया

है, जो त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक प्रकरण में पृथक–पृथक आदेश पारित किया जाना चाहिए था ।

तर्कों के समर्थन में ए.आई.आर. 1970 सुप्रीम कोर्ट 1955 एवं ए.आई.आर. 1973 सुप्रीम कोर्ट 1098 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा मदिरा निर्यात करने में मार्ग हानि होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी पर शास्ति अधिरोपित करने में पूर्णतः विधिसंगत आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पाारित आदेश विधसंगत होने से स्थिर रखा जाये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा दिल्ली राज्य को परमिट कमांक 653, 654 एवं 655 दिनांक 20–5–2003 द्वारा 5400 प्रूफ लीटर देशी स्प्रिट सीलबंद बोतलों का निर्यात किया गया था, जिसमें गुना में दुर्घटना के कारण 778.5 प्रूफ लीटर कम पाई गई । परमिट कमांक 710 दिनांक 12–6–2003 द्वारा 5400 प्रूफ लीटर किये गये देशी स्प्रिट सीलबंद बोतलों के निर्यात में 4860 पूफ लीटर कुल 5638.5 पूफ लीटर पर कम पाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित मार्ग हानि से अधिक मार्ग हानि होने से अपीलार्थी कम्पनी से शुल्क रूपये 135324/– वसूली योग्य माना है । महालेखाकार ग्वालियर द्वारा निर्यात की गई देशी स्प्रिट सीलबंद बोतलों की 233 सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार 9 प्रकरणों में गंतव्य पर 446.98 प्रूफ लीटर देशी स्प्रिट सीलबंद बोतलें कम तथा शेष 224 प्रकरणों में 4862.18 प्रूफ लीटर देशी स्प्रिट सीलबंद बोतलों की टूट–फूट छीजन हानि होने सम्बन्धी ऑडिट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रूपये 6,63,646/– कुल राशि रूपये 7,98,970/– अपीलार्थी से वसूल किये जाने के आदेश दिये गये हैं । इस संबंध में अपीलार्थी इकाई द्वारा तर्को में यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि राज्य शासन को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है और न ही प्रदाय प्रभावित हुआ है । इस संबंध में जहॉ अधिनियम अथवा नियमों में स्पष्ट आज्ञापक प्रावधान हैं और उन प्रावधानों का उल्लंघन अपीलार्थी कम्पनी द्वारा किया जाता है, तब उस पर शास्ति अधिरोपित की जाना वैधानिक दृष्टि से उचित

कार्यवाही है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत इस प्रकरण के निराकरण के लिये प्रासंगिक नहीं होने से उन पर विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है। दर्शित परिस्थितियों में आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त, म.प्र., ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–6–2015 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर